भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4444

08 जनवरी, 2019 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आधार कार्ड

4444. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्याक्आधार कार्ड अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की खरीद के लिए अनिवार्य हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी घटनाओं, यदि कोई हों, की जानकारी है जिसमें आधार नंबर के अभाव के कारण पीडीएस राशन देने से मना करने के कारण भुखमरी की वजह से मौतें हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) से (ग) : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम 2016, की धारा-7 के अंतर्गत का. आ. संख्या 371 [ई] दिनांक 08.02.2017 [समय-समय पर यथा संशोधित] द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, सभी पात्र लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 [एनएफएसए] के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न अथवा खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण प्राप्त करने के हकदार हैं, जिनके पास आधार संख्या नहीं है अथवा, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किन्तु राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न अथवा जो खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें दिनांक 31.03.2019 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।

लाभार्थियों की आधार संख्या को राशन कार्डों से जोड़ने से एनएफएसए के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के वितरण अथवा राजसहायता के नकद अंतरण के लिए लाभार्थियों को सही तरीके से लक्षित करना सुनिश्चित करने में सुविधा होगी।

.....2/-

इस विभाग ने दिनांक 24.10.2017 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए है कि केवल आधार नम्बर न होने के आधार पर किसी भी लाभार्थी/परिवार का नाम पात्र लाभार्थियों/परिवारों की सूची से नहीं हटाया जाएगा तथा नेटवर्क/कनेक्टीविटी /लिंकिंग संबंधी समस्या/लाभार्थी के बायोमेट्रिक ब्यौरे में समस्या अथवा अन्य तकनीकी कारणों से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन सफल न होने के कारण भी एनएफएसए के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों अथवा खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस विभाग ने दिनांक 08.11.2018 के अपने पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुनः निर्देश जारी किए हैं कि बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन सफल न होने के कारण किसी भी वास्तविक लाभार्थी को एनएफएसए के अंतर्गत उसकी हकदारी के खाद्यान्नों से वंचित नहीं किया जाएगा।

हाल ही में प्रचार माध्यमों में कुछ रिपोर्टें आई हैं , जिनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को अपनी हकदारी के खाद्यान्नों का कोटा प्राप्त करने में उनके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों में आधार को राशन कार्डों से न जोड़ने का उल्लेख एक कारण के रूप में किया गया है। इस संबंध में, राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि भुखमरी के कारण हुई मौतों के संबंध में मीडिया रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों के बारे में प्रमाण नहीं दिया गया है।

*****